कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नया रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558
website - tribal.cg.gov.in **E mail - ctd.cg@nic.in**

क्रमांक / युवा. कै. / 140 / 2016–17 / 6131 नया रायपुर दिनांक 03 / 10 / 2016

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केद्र रायपुर में रेल्वें / बैंकिंग / एस.एस.सी. जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

युवा कैरियर निर्माण योजना वर्ष 2015 अंतर्गत राज्य के रायपुर जिला मुख्यालय में स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केद्र पर 100 सीट के लिए राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छ.ग.व्यापम इत्यादि के माध्यम से ली जाने वाली लिपिकीय एवं कार्यपालिक पदों की भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

1. प्रथम बंद लिफाफा :– संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण।
2. द्वितीय बंद लिफाफा :– संस्था के तकनीकी योग्यता संबंधी विवरण।
3. तृतीय बंद लिफाफा :– वित्तीय लिफाफा

इन तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी दस्तावेजों के पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में पात्र पाए जाने पर ही तृतीय लिफाफा खोला जाएगा। तकनीकी योग्यता (विवरण) के लिए कुल 100 अंक होगा। इसका 60 प्रतिशत अधिभार एवं वित्तीय मूल्यांकन का 40 प्रतिशत अधिभार देते हुए तकनीकी एवं वित्तीय का संयुक्त मूल्यांकन पश्चात् अंतिम मूल्यांकन के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा। संस्था के परीक्षा परिणाम के मूल्यांकन पश्चात् अगले 03 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं युवा कैरियर निर्माया योजना वर्ष 2015 की प्रति, आवेदन का प्रारूप न्यूनतम पात्रता शर्तें तथा अन्य जानकारी दिनांक 18.10.2016 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक 4डी, भूतल इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को स्वतः संपर्क कर प्राप्त कर सकते है। अथवा विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त (Downlode) कर सकते है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईड से डाऊनलोड कर प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं को अपने प्रस्ताव के साथ रू. 1000/– का भारतीय स्टेट बैंक का चालानशीर्ष क्रमांक – **''0250 अन्य सामाजिक सेवाएं 102 अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण योजनाओं से प्राप्तियां''** में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जमा कर चालान की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

1. कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 18.10.2016 अपरान्ह 5.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि – 19.10.2016, अपरान्ह 3.00 बजे तक
3. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना – 19.10.2016, अपरान्ह 4.00 बजे तक
4. पात्र पाए गए कोचिंग संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन – 20.10.2016, अपरान्ह 2.00 बजे तक

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधीकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। डाक विभाग के गड़बड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे।

–सही–
(ईमिल लकड़ा)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केद्र रायपुर में कोचिंग प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण हेतु
आवेदन पत्र

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक....................दिनांक ....के संदर्भ में)

भाग–एक (प्रथम लिफाफा)
(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे
1.	कोचिंग संस्था द्वारा इस व्यवसाय को करने के लिए संबंधित सक्षम विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं पंजीयन हो। (प्रमाण पत्र संलग्न करें) संस्था यदि किसी समिति/कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत हो तो बाइलॉज संलग्न करें। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN) नम्बर तथा सर्विस टेक्स नंबर जो लागू हो होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो प्रतिलिपि संलग्न करें।	
3.	(i) प्रति वर्ष का टर्न ओव्हर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिवर्ष का टर्न ओवर का एक प्रमाण पत्र चार्टड एकाउन्टेंड द्वारा जारी किया गया हो। (ii) पिछले 03 वर्षों में सर्विस टेक्स जमा किए गए का विवरण। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो प्रतिलिपि संलग्न करें।	
4.	सुरक्षा निधि के रूप में रू 1.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 01 वर्ष की अवधि हेतु जो आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास मुख्यालय, नया रायपुर के पक्ष में हो, संलग्न होना चाहिए।	

भाग–दो (द्वितीय लिफाफा–क्रमांक 01 से 06 तक)

भाग – 2 (01)

(संस्था का सामान्य परिचय–पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम : ....

   (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : ....

   : ....

   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है, विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक : ....

3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनीज एक्ट के अंतर्गत संचालित है तो :–

   (अ) समिति/कंपनीज एक्ट का नाम : ....

   : ....

   (ब) समिति/कंपनीज एक्ट के कार्यालय का पूर्ण पता : ....

   : ....

   (स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

4. (अ) समिति/कंपनीज एक्ट किस एक्ट के तहत पंजीकृत है : ....

   (ब) समिति/कंपनीज एक्ट का जीवित पंजीयन क्रमांक : ....

   (स) समिति/कंपनीज एक्ट का वैद्यता दिनांक : ....

   (द) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ....

   (इ) समिति/कंपनीज एक्ट के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : ....

   (फ) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वन्मेन्ट बॉडी के अध्यक्ष, : ....

   सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता : ....

   मोबाईल नंबर सहित : ....

5. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इनचार्ज का नाम :–

   (अ) इन्चार्ज का नाम : ....

   (ब) शैक्षणिक अर्हता : ....

   (स) अनुभव : ....

<u>भाग – 2 (02)</u>

(कोचिंग संस्था के फैक्लटी, जिन्हें परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा)

1. (अ) फैकल्टी का विवरण :– सभी का बायोडाटा संलग्न होना चाहिए।

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अनुभव	किस संस्था से जुड़े हैं

भाग – 2 (03)

(कोचिंग संस्था के सफलता की जानकारी)

1. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण (पिछले 03 वर्षों की जानकारी दी जावें।)

क्र.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या				अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या				सफलता का प्रतिशत
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	
1										
2										
3										
4										
5										

टीप :– i. अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में उपलब्धि को पृथक से दर्शाया जा सकता है

ii. प्रत्येक परीक्षावार अंतिम चयनित विद्यार्थियों का नाम की सूची मोबाईल नंबर सहित संलग्न किया जावे।

2. राज्य स्तरीय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण :–

क्र.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या				अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या				सफलता का प्रतिशत
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग	
1										
2										
3										
4										
5										

भाग – 2 (04)

(योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति)

इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रस्तुत की जावे :–

1. अध्यापन की रणनीति
2. उत्कृष्ठ शिक्षण सामग्री की एक प्रति
3. उत्कृष्ठ शिक्षकों को पूरे वर्ष नियोजित करने की योजना
4. अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु ऑनलाईन टेस्ट पेपर एवं मूल्यांकन तथा रिर्पोटिंग की व्यवस्था।
5. बैंकिग, रेल्वे, एस.एस.सी. जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कराने का अनुभव विवरण।

भाग – 2 (05)

संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र के **भाग–2 (01) से लेकर भाग–2 (05)** में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकरी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छ.ग.व्यापम इत्यादि के माध्यम से ली जाने वाली लिपिकीय एवं कार्यपालिक पदों की परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण (कोचिंग) युवा कैरियर निर्माण योजना 2015 एवं ''रुचि की अभिव्यक्ति'' में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक : ....

स्थान : .... **हस्ताक्षर/मोहर सहित**

टीप :– प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों पर संस्था संचालक का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केद्र रायपुर में कोचिंग प्रदान करनक हेतु प्रतिश्ठित कोचिंग संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण हेतु

<u>वित्तीय प्रस्ताव – भाग (तीन)</u>

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक.........................दिनांक.....................के संदर्भ में)

क्र.	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि समस्त कर सहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह) अंको में एवं शब्दों में दर दर्शाया जाए
1.	बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छ.ग.व्यापम इत्यादि के माध्यम से ली जाने वाली लिपिकीय एवं कार्यपालिक पदों की परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण (कोचिंग) की सुविधा युवा कैरियर निर्माण योजना 2015 के कंडिका 14 (III) में दर्शायी गई सुविधाओं सहित	

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करनें हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

टीपः– 1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।

2. कोई भी काट–छाँट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. युवा कैरियर निर्माण योजनांतर्गत परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में विभाग द्वारा प्रशिक्षण कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं कोचिंग संस्था के लिए कार्यरत कक्ष आदि की व्यवस्था की जाएगी।

4. कोचिंग में प्रवेशित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा कुर्सी, टेबल, बिजली, पंखा, पानी, फर्स्टट्रेड, लायब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

5. कोचिंग संस्था द्वारा कोचिंग केन्द्र पर छात्रों के लिए विषय विशेषज्ञ, लेखन सामग्री, पुस्तकें, स्टडी मटेरियल, नियमित मासिक, त्रैमासिक, छःमाही टेस्ट, व्यक्तित्व विकास, इंग्लिश स्पोकन, साक्षात्कार की प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।